Mr. Speaker: I have not allowed anybody to ask a question twice. That reflection should not be cast. I have not allowed anybody. Shri Nath Pai is only saying that the latter part of his question has not been answered and is insisting for an answer to that.

Shri Ranga: I am not having him in my mind. There are others also.

Mr. Speaker: Could he point out to me the name of any hon. Member who has been allowed a second question?

श्री किशन पटनायक : (सम्बलपुर) : आपने जितने नाम बुलाये हैं सब महाराष्ट्र के हैं, दूसरे क्षेत्र के लोगों को भी बुलाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अगर नोटिस उनका है तो मैं क्या करूं ।

Now, Mr. Nath Pai insinuates or infers or asserts, whatever it may be . . .

Shri Nath Pai: The word 'insinuation' may be dropped out from that. I am not capable of that.

Mr. Speaker: It has already dropped from my lips. In view of the conditions in the Centrally run territory of India, whether Government now propose ultimately to find out the wishes of the people as to where they do want to go if they like.

Shrimati Lakshmi Menon: That will be done at the appropriate time. At the moment, there is no discontent at all in the Union territory of Dadra and Nagar Haveli. All that we want is that nobody should go and create disturbances when the people do not want disturbances.

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: Order, order. I am not allowing them. Papers to be laid on the Table. Shri T. T. Krishnamachari. (*Interruptions*).

12.11 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ECONOMIC SURVEY FOR THE YEAR 1963-64:

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): I beg to lay on the Table a copy of Economic Survey for the year 1963-64.

[*Placed in Library. See* No. LT-2364/64].

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री बागड़ी (हिसार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पिछले तीन, चार रोज से मुतवातिर एक काम रोको प्रस्ताव देता आ रहा हूं । दरअसल जिस इलाके से मैं चुन कर इस लोक सभा में आया हूं वहां एक गम्भीर अकाल की स्थिति मौजद है । वहां पर अनाज नहीं है, आटा नहीं है । अनाज के भाव सट्टे के कारण दनादन बढ़ते जा रहे हैं । चना मेथे के नाम पर होता है और गंदुम सरसों के नाम पर । इन चढ़ते हुए भावों को रोकना बहुत ही जरूरी है । आप कोई भी अखबार निकाल कर देखें आपको यही चीज पढ़ने को मिलेगी । पशु भूखे मर रहे हैं .....

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये । अब मैं सारे अपोजीशन से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कोई हमारा यहां डिकोरम होना चाहिए । जैसा कि इन मेम्बर ने कहा कि वह तीन, चार दिन से उसी नोटिस को रिपीट किये जाते हैं और मैं उसे इंकार किये चला जाता हूं तो इसके लिये कोई कायदा हो कि वह अपने उस नोटिस को बार बार रिपीट किये जाने से रुकें और हर रोज बगैर इजाजत के उसके बारे में पूछने और इस तरह से बगैर इजाजत के खड़े होकर हाउस की प्रोसीडिंग्ज को जो इंटरप्ट करते हैं, वह न कर सकें । आखिर कोई न कोई हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे हम हाउस में डिकोरम बनाये रख सकें ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस सम्बन्ध में थोड़ा अर्ज करना चाहता हूं . . (इंटरप्शन्स) आपकी अनुमति से ही मैं अर्ज करूंगा . . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): May I make a submission with great respect? Anyone of us, of course, does not approve of this manner of approaching on the same point over and over again. But may I further request that the decorum of the House has not been preserved only by the Opposition. It ought to have been addressed to each one of them.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): The whole House.

Mr. Speaker: When the Member of the Opposition is doing that, that is the only occasion to appeal to the Opposition. If there is some interruption from the other side, certainly I will appeal to that party. Now, as he himself said, वह तीन, चार रोज से इसको रिपीट कर रहे हैं। मैं इस बारे में आपका जजमेंट लेना चाहता हूं । क्या यह उनका हाउस की प्रोसीडिंग्स को रोजाना इस तरह से इंटरप्ट करना दुरुस्त है ? मैं इस विषय में आप सब लोगों का कोआपरेशन चाहता हूं ताकि मैं इस बात को रोक सकूं । मैं यह अपील आपका सहयोग लेने के लिए कर रहा हूं ताकि इस बात को जैसे भी हो रोका जाय । मेरा विचार है कि यह बात नहीं चलनी चाहिए । इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूं । मैं इसे नहीं चलने दूंगा ।

श्री किशन पटनायक : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इस मामले में आपको कोई उपदेश तो नहीं दे सकता हूं लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि माननीय सदस्य श्री बागड़ी इस विषय पर कितने एजिटेटेड हैं और बार बार इसी पर एडजोर्नमेंट मोशन दिये चले जा रहे हैं, बेहतर यह होगा कि आप उन सदस्य को बुला लीजिये, कुछ अपोजीशन के लीडर्स को बुला लीजिये और मंत्री महोदय को भी बुला लीजिये ताकि इस विषय की क्या गम्भीरता है उस पर वे विचार विमर्श करके एक फैसले पर पहुंचें । मेरी समझ में ऐसा करना सब से अच्छा होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह बहुत अच्छी बात होती । लेकिन उनको याद होगा कि अभी उस दिन जब मैंने माननीय सदस्य श्री बागड़ी को कहा था कि बजाय इसके कि यहां बगैर इजाजत के खड़े होकर बोलने लगें और प्रोसीडिंग्स में बाधा डालें, वे मेरे पास आकर बातचीत करें और जो कुछ मेरे फैसले पर उनको एतराज हो, उस पर वह मेरे साथ बैठ कर चर्चा कर लें तो उन्होंने कहा था कि वह मेरे पास नहीं आयेंगे । अब उसके बाद मैं क्या करूं ?

श्री किशन पटनायक : उन को न बुला कर अन्य अपोज़ीशन ग्रुप्स के लीडर्स को बुला कर बातचीत की जा सकती है . . .

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं । यह कायदे, कानून तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं और हम इन को आप से सीखते हैं इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं । लेकिन सवाल तो यह है कि यह कायदे, कानून इस लिये होते हैं जिससे देश और समाज की रक्षा हो सके । मैं इस गरीबी के गर्भ में से सच्चाई की बात कहता हूं कि छोटे बच्चों की भूख से तड़प और भूखी जनता की पुकार जब हमारे सामने उठ रही हो तो यह क़ायदे, क़ानून की बात सामने लाकर उसको सुनने से इंकार नहीं करना चाहिये । भूखी जनता आपके कायदे, कानून नहीं चाहती है वह अपने भूखे पेट की ज्वाला शांत करने के लिये रोटी का टुकड़ा चाहती है । मैं अपने दिल की गहराई से सच्चाई की बात कहता हूं कि अगर उसका तत्काल

[श्री बागड़ी]

इलाज नहीं किया गया तो इससे देश और समाज दोनों टूट सकते हैं। और देश को इस तरह से कमजोर रक्खा गया तो पाकिस्तान की फौज की मार्फत अमरीका या चीन हमारे देश की आजादी को हड़प सकते हैं....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि वह इस मामले में कायदे क़ानून की परवाह नहीं करेंगे। वह इतने दिनों से इस को तोड़ रहे हैं। मैंने बहुत सब्र किया और बर्दाश्त किया और हमेशा उन से अपील करता रहा कि वह अपनी बाधा डालते रहने की कार्यवाही से किसी तरह बाज़ आ जायें, लेकिन वे नहीं माने। अब मैं और ज्यादा यह चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। माननीय सदस्य अब इस से ज्यादा न बोलें और अपनी जगह पर बैठ जायें वरना मुझे उनको ऐसा करने से रोकने के लिये कोई न कोई ऐक्शन जरूर लेना पड़ेगा।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह ठीक है कि आप यहां बैठे हैं और आप इस सभा की कार्यवाही को चला रहे हैं और यहां बैठ कर हम सब सदस्यों को आप की आज्ञा माननी चाहिये। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि देश की स्थिति इस समय भयंकर बनी हुई है। देश की खाद्यान्न समस्या बड़ी विकट हो रही है और इस लिए मेरा निवेदन है कि इस समस्या पर आप तत्काल अलग से विचार करने के लिए समय दें। हम आप की अवज्ञा नहीं करना चाहते है, आज्ञा का पालन करना चाहते हैं लेकिन यह निवेदन अवश्य है कि इस पर आप तत्काल समय देने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी यहां लोकसभा में दो साल से हैं। उनको पता होना चाहिये कि अगर काम रोकों प्रस्ताव पेश करने की अनुमति अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य को न दी जाय तो वह उस पर विचार करने के लिये कोई दूसरी तरह का नोटिस दे सकता है। क्या स्वामी जी ने या किसी दूसरे सदस्य ने इस के लिये कोई नोटिस दिया ?

श्री बड़े : अब हम दे देंगे।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरी थोड़ी सी अर्ज ....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य बैठ जायें। इस तरह से कार्यवाही में बाधा डालना बहुत अनुचित है।

श्री बागड़ी : मेरी अर्ज आप सुन तो लें...

अध्यक्ष महोदय : अब में इजाजत नहीं दे सकता।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप सज़ा बेशक दें लेकिन मेरी एक मिनट की अर्ज सुन लें....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। अब मैं आपको बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता।

श्री बागड़ी : केवल एक मिनट ...

अध्यक्ष महोदय : अब मेरे मना करने के बावजूद चूंकि माननीय सदस्य बाधा डाल रहे हैं इसलिये मैं उनका नाम लेकर कहता हूं कि श्री बागड़ी हाउस से बाहर चले जायें।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं लेकिन मैं उस इलाके से जहां कि गरीब जनता भूखी मर रही है, अनाज मिल नहीं रहा है उनकी आवाज यहां पर रखना चाहता हूं और... (इंटरप्शंस)

Shri Raghunath Singh (Varanasi): I move that he should be named, and suspended from the service of the House for at least seven days.

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् ने कई बार इस हाउस में कहा हुआ है कि कोई भी सदस्य उन की इजाजत के बगैर न बोले। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि

जितने भी सदस्य अभी बगैर उन की इजाजत के बोले हैं, उन सभी के रिमार्क्स हाउस की कार्यवाही में से ऐक्सपंज कर दिये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : ऐक्सपंज करना काफी इलाज नहीं है । माननीय सदस्य श्री बागड़ी से मैंने कहा है कि वह हाउस से बाहर चले जायें ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, जैसी आप की मर्जी ।

(Shri Bagri left the House.)

12.18 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE
—Contd.

ARTICLES OF ASSOCIATION AND MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF BOKARO STEEL LTD.

The Minister of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri C. Subramaniam): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(i) Articles of Association of Bokaro Steel Limited.

(ii) Memorandum of Association of Bokaro Steel Limited.

[*Placed in Library. See* No. LT-2365/64].

REPORT OF INDIAN PRODUCTIVITY TEAM ON PAPER INDUSTRY

ANNUAL REPORT OF NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL FOR 1962-63

The Minister of Industry (Shri Kanungo): I beg to lay on the Table a copy each of the following Reports:—

(i) Report of Indian Productivity Team on Paper Industry in Japan, Mexico, Venezuela, USA, UK, Canada, Finland and Sweden, [*Placed in Library. See* No. LT-2366/64].

(ii) Annual Raeport of the National Productivity Council for the year 1962-63. [*Placed in Library. See* No. LT-2367/64].

12.19 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

EIGHTEENTH REPORT

Shri Tyagi (Dehra Dun): I beg to present the Eighteenth Report of the Public Accounts Committee on Delhi Development Authority—Para 109 of Audit Report (Civil), 1963 and Audit Reports on the Accounts of Delhi Development Authority for the years 1957-58 to 1961-62.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): With your permission, I rise to announce that Government business in this House for the week commencing 24th February, 1964, will consist of:

(1) Further discussion on the Railway Budget for 1964-65.

(2) Discussion and Voting on Demands for Grants (Railways) for 1964-65;

(3) Supplementary Demands for Grants, Railways, for 1963-64;

(4) Supplementary Demands for Grants (General), for 1963-64;

(5) Consideration of a motion for reference of the Gold Control Bill, 1963, to a Joint Committee of both Houses;

(6) Consideration and passing of the Delhi Delegation of Powers Bill, 1963; and

(7) Consideration and passing of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha Bill, 1963, as passed by Rajya Sabha.

As hon. Members are already aware, the General Budget for 1964-65 will be presented on Saturday, the 29th February, 1964 at 5 p.m.